भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2285
09.12.2024 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई तथा वन्यजीव संरक्षण

2285. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों में वनों की कटाई और अवैध कटाई से निपटने के लिए कार्यान्वित किए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वन्य जीव संरक्षण की पहलें देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में प्रभावी हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): वन और वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन प्रमुख रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। देश के वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वैधानिक तंत्र मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम आदि शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत वन, वन्यजीव और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि विकास परियोजनाओं के लिए कम से कम वृक्ष काटे जाएं साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इन मामलों के अनुसार आवश्यक प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंज़ूरी देता है।

अवैध कटाई, अवैध वनों की कटाई तथा वन्यजीव अपराधों के मामलों का पता चलने पर उन्हें संबंधित वन अधिनियमों/वन्यजीव अधिनियम के तहत संज्ञान में लिया जाता है और सक्षम न्यायालय/सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

भारत में पाई जाने वाली विलुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ आदि को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। विलुप्तप्राय प्रजातियों और जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत देश में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व से युक्त संरक्षित क्षेत्रों (पीए) का एक नेटवर्क बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करता है। वर्तमान में, इस नेटवर्क में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्यजीव अभयारण्य, 123 संरक्षण रिजर्व और 220 सामुदायिक रिजर्व हैं, जो 1,78,640.69 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 59 वन्यजीव अभयारण्य, 17 राष्ट्रीय उद्यान, 1 संरक्षण रिजर्व और 134 सामुदायिक रिजर्व अधिसूचित किए गए हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), भारत सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने और विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में वन्यजीव संरक्षण के लिए की गई सरकारी पहलें प्रभावी होती हैं। इस संबंध में, अवैध वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन प्रयासों में समन्वय के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय (आईएसी) बैठकें आयोजित की गई हैं। वर्ष 2019-2023 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में छह आईएसी बैठकें आयोजित की गईं और वर्ष 2019-2023 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 166 संयुक्त अभियान चलाए गए; जिसके परिणामस्वरूप 375 वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। डब्ल्यूसीसीबी ने कम ज्ञात वन्य पशुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से लेसकनो (एलईएसकेएनओडब्ल्यू) कोड से एक प्रजाति-विशिष्ट प्रवर्तन अभियान का भी समन्वय किया था।

इसके अलावा, डब्ल्यूसीसीबी द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के संबंध में संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को आवश्यक निवारक कार्रवाई करने के लिए अलर्ट और सलाह जारी की गई है।

मंत्रालय अपनी चल रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) यथा वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, बाघ और हाथी परियोजना, दावानल रोकथाम और प्रबंधन, हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, साथ ही काम्पा निधि के माध्यम से वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्षित प्रयासों में भी सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तुत वार्षिक संचालन योजना के माध्यम से योजना-विशिष्ट कार्यकलापों को मंजूरी देता है।

****